न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2014 विविध प्रार्थना पत्र

श्री मुकेश कुमार पुत्र लोकेश चन्द्र पत्रिया निवासी सदर बाजार जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

बनाम

1. श्रीमती काली देवी पत्नी गेंगाराम मीणा अध्यक्ष, नगर पालिका जहाजपुर पोस्ट जहाजपुर
2. श्री नाथूलाल चौधरी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जहाजपुर
3. श्री विवेक मीणा पुत्र जगदीश चन्द मीणा चैयरमेन, नगर पालिका जहाजपुर
4. श्री ओमप्रकाश जैन, तहसीलदार जहाजपुर , वर्तमान कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका , जहाजपुर जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

–विपक्षीगण

प्रकरण सं0 16/2013 में दिनांक 30.08.2013 को पारित निर्णय एवं आदेश की पालना नहीं कर अवहेलना करने के बारे में अवमानना याचिका

उपस्थित –

श्री रमेश चेचाणी अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से

श्री मनीष कुमार कांटिया अधिवक्ता – विपक्षीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.05.2018

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रकरण सं0 16/2013 में दिनांक 30.08.2013 को पारित निर्णय एवं आदेश की पालना नहीं कर अवहेलना करने के बारे में अवमानना याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नगर पालिका जहाजपुर की आवासीय कॉलोनी शिवजी नगर के पार्ट ए में दिनांक 10.01.2012 को निलामी में अधिकतम बोली होने के आधार पर प्रार्थी द्वारा भूखण्ड क्रय किये गये, जिनकी कुलिया राशि प्रार्थी की ओर से नगर पालिका जहाजपुर के यहां निर्धारित समयावधि में जमा करा देने पर प्रार्थी के पक्ष में शाश्वत लीज डीड निष्पादित की जाकर दिनांक 24.07.2012 को उनका पंजीयन भी करा दिया गया । प्रार्थी के क्रय शुदा उक्त भूखण्ड सं. 109 से 113 के लीज डीड निष्पादित करने के पश्चात् निलामी कार्यवाही के वक्त नगर पालिका की ओर से

बताये गये प्लान को अपने स्तर पर मनमाना तरीके से बदलने /परिवर्तित करने का कोई हक / अधिकार नहीं होते हुये भी भूखण्ड सं. 79 के पश्चात् 79ए, 79बी, 79सी, 79डी नये कायम कर दिये गये। इसी प्रकार मूल प्लान को बदलते हुये भूखण्ड सं. 80 के आगे 80ए, 80बी, 80सी, व 80डी नये कायम कर दिये, जबकि उप नगर नियोजक, अजमेर द्वारा स्वीकृत नक्शे में वर्णित भूखण्डों के पश्चात् मौके पर उपरोक्त वर्णित 8 नये भूखण्ड बनाने जैसी कोई भूमि विपक्षी के पास उपलब्ध नहीं थी । प्रार्थी की ओर से धारा 312 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष निगरानी सं. 16/2013 प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 30.08.2013 को निम्न आशय का निर्णय पारित किया गया –

" प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, निगराकार /प्रार्थी ने अधीनस्थ नगर पालिका के विरूद्व जिस विषय वस्तु को लेकर विवाद उत्पन्न होने से यह आवेदन प्रस्तुत किया है। वर्णित विवाद के बारे में प्रतिपक्षी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जो स्वयं न्यायालय के समक्ष होकर यह कथन किया कि निगराकार / प्रार्थी ने कस्बा जहाजपुर में शिवजी नगर आवासीय कॉलोनी में निलामी में भूखण्ड खरीद किये, जिनकी निलामी राशि भी जमा हो चुकी है तथा उनके पक्ष में विक्रय किये गये भूखण्डों की लीज डीड भी निष्पादित की गई है । किन्तु मौके पर 40 फीट जो रोड तैयार कराया गया उक्त रोड का हिस्सा तिरछा न जाकर सीधा हो जाने से स्वीकृत प्लान में आंशिक परिवर्तन किया गया । फिर भी संबंधित व्यक्तियों को निलाम किये गये भूखण्डों की एवज में इसी आवासीय कॉलोनी में अन्य भूखण्ड दिये जा रहे है। इस पर स्वयं प्रार्थी व उसके अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रकट की है।

इस प्रकार जिस विषय वस्तु को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ है। उस पर विपक्षी ने अन्य भूखण्ड देने में अपनी सहमति प्रकट की और प्रार्थी ने विपक्षी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जहाजपुर की सहमति में सहमत होना प्रकट किया । अर्थात् दोनों पक्षों में निलाम किये गये भूखण्ड सं. 79 व 80 के आगे ए,बी,सी,डी लगाया जाकर भूखण्डों का परिवर्तन किया गया हैं । जो आवासीय कोलोनी में रोड निर्माण कराने व रोड के सीधा निर्मित करने से भूखण्डों में परिवर्तन किया गया है और विपक्षी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जहाजपुर प्रार्थी के पक्ष में किये गये भूखण्डों की एवज में अन्य भूखण्ड देने को सहमत हैं। ऐसी स्थिति में अब प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में कोई विवाद का विषय शेष नहीं रहता है। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जहाजपुर न्यायालय के समक्ष प्रकट सहमति के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में भूखण्ड विक्रय की सुनिश्चितता करें।"

विपक्षीगण ने अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि नगर पालिका जहाजपुर में क्रमशः अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी के पद पर पदासीन एवं सेवारत होकर न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित उक्त निर्णय की पालना करने के लिये जिम्मेदार है। प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय की पालना हेतु विपक्षीगण से कई मर्तबा व्यक्तिशः उपस्थित होकर निवेदन किया , किन्तु विपक्षीगण ने मनमाना एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से प्रार्थी को माफिक निर्णय भूखण्ड दिलाने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की । विपक्षीगण द्वारा न्यायालय के निर्णय एवं आदेश की पालना नहीं कर मनमाना एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से अवहेलना व अवमानना करने के लिये दण्डित किया जाना न्यायोचित

व आवश्यक हैं तथा विपक्षीगण की व्यक्तिगत सम्पति को कुर्क किया जाकर प्रार्थी को अब तक हुयी व हो रही हानि / हर्जाने की पूर्ति कराया जाना भी न्यायोचित व आवश्यक है। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण द्वारा न्यायालय निर्णय व आदेश की पालना न कर मनमाना व अपेक्षापूर्ण तरीके से अवहेलना व अवमानना करने के लिये उन्हें सिविल कारावास की सजा से दण्डित फरमाय जावे । विपक्षीगण की व्यक्तिगत सम्पत्ति को कुर्क किया जाकर प्रार्थी की क्षतिपूर्ति करायी जाने का आदेश फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 10.01.2014 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं संबंधित पत्रावली तलब की गयी ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि नगर पालिका जहाजपुर की आवासीय कॉलोनी शिवाजी नगर में प्रार्थी द्वारा भूखण्ड सं. 109 से 113 क्रय किये गये । प्रार्थी के पक्ष में नगर पालिका जहाजपुर द्वारा रजिस्ट्री करवायी गयी । इसके पश्चात् नगर पालिका द्वारा बताए गए प्लान को अपने स्तर से भूखण्ड सं. 79 के पश्चात् 79ए, बी, सी, डी व भूखण्ड सं. 80 के आगे 80ए, बी,सी, डी कुल 08 भूखण्ड नये कायम कर दिये । न्यायालय प्रकरण सं. 16/2013 उनवान मुकेश कुमार बनाम नगर पालिका जहाजपुर निर्णय दिनांक 30.08.2013 इस प्रकार हैं – " प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, निगराकार /प्रार्थी ने अधीनस्थ नगर पालिका के विरूद्व जिस विषय वस्तु को लेकर विवाद उत्पन्न होने से यह आवेदन प्रस्तुत किया है। वर्णित विवाद के बारे में प्रतिपक्षी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जो स्वयं न्यायालय के समक्ष होकर यह कथन किया कि निगराकार / प्रार्थी ने कस्बा जहाजपुर में शिवजी नगर आवासीय कॉलोनी में निलामी में भूखण्ड खरीद किये, जिनकी निलामी राशि भी जमा हो चुकी है तथा उनके पक्ष में विक्रय किये गये भूखण्डों की लीज डीड भी निष्पादित की गई है । किन्तु मौके पर 40 फीट जो रोड तैयार कराया गया उक्त रोड का हिस्सा तिरछा न जाकर सीधा हो जाने से स्वीकृत प्लान में आंशिक परिवर्तन किया गया । फिर भी संबंधित व्यक्तियों को निलाम किये गये भूखण्डों की एवज में इसी आवासीय कॉलोनी में अन्य भूखण्ड दिये जा रहे है। इस पर स्वयं प्रार्थी व उसके अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रकट की है।

इस प्रकार जिस विषय वस्तु को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ है। उस पर विपक्षी ने अन्य भूखण्ड देने में अपनी सहमति प्रकट की और प्रार्थी ने भी विपक्षी अधिशाषी

अधिकारी नगर पालिका जहाजपुर की सहमति में सहमत होना प्रकट किया । अर्थात् दोनों पक्षों में निलाम किये गये भूखण्ड सं. 79 व 80 के आगे ए,बी,सी,डी लगाया जाकर भूखण्डों का परिवर्तन किया गया हैं । जो आवासीय कोलोनी में रोड निर्माण कराने व रोड के सीधा निर्मित करने से भूखण्डों में परिवर्तन किया गया है और विपक्षी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जहाजपुर प्रार्थी के पक्ष में किये गये भूखण्डों की एवज में अन्य भूखण्ड देने को सहमत हैं। ऐसी स्थिति में अब प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में कोई विवाद का विषय शेष नहीं रहता है। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जहाजपुर न्यायालय के समक्ष प्रकट सहमति के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में भूखण्ड विक्रय की सुनिश्चितता करें।"

प्रार्थी द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड संख्या 109 से 113 के भूखण्डों को नगरपालिका द्वारा समायोजित किया जाना था , लेकिन उक्त निर्णय की पालना में नगरपालिका मुकर गई। आदेश की अवमानना की जा रही है। प्रार्थी के भूखण्ड को कायम रखा जावे । न्यायालय निर्णय की विपक्षीगण द्वारा पालना नहीं करने से अवमानना करने के लिये सिविल कारावास की सजा से दण्डित कराया जावे । प्रार्थी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त सेन्ट्रल गवर्मेन्ट एक्ट सेक्शन 12 कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की पीडीएफ प्रति प्रस्तुत की ।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। विपक्षीगण द्वारा न्यायालय आदेश की जानबूझकर अवहेलना नहीं की गयी है । विपक्षीगण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने के लिए तत्पर व तैयार हैं एवं आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए विपक्षीगण उच्च अधिकारियों से विधिक परामर्श कर रहे है। नगर पालिका जहाजपुर द्वारा प्रार्थी को उसके प्लॉट दिये जाने बाबत् सतत प्रयास किये जा रहे हैं । नगर पालिका जहाजपुर द्वारा कभी भी प्रार्थी के प्रति उपेक्षापूर्ण कार्यवाही नहीं की है। न्यायालय ने समय अवधि का भी निर्धारण नही किया गया । मात्र अधिवक्ता के नोटिस देने व समय अवधि निर्धारित करने से अवमानना व अवहेलना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। विपक्षी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु विधानसभा व लोकसभा के चुनाव हो जाने से आचार संहिता के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मनमकसूद व मिथ्या आधारों पर पेश किया हैं । जिससे उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने योग्य हैं ।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर

मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि प्रकरण सं. 16/2013 निर्णय दिनांक 30.08.2013 की पालना में अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जहाजपुर ने पत्र क्रमांक/न.पा. जहाज/2014–15//779 दिनांक 21.08.2014 से उपनिदेशक (क्षैत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग अजमेर को रिपोर्ट प्रेषित की गयी । प्रार्थी द्वारा निर्णय की पालना बाबत् नगर पालिका जहाजपुर में अपना पक्ष रखना चाहिये । प्रार्थी ने भूखण्ड सं. 79 के पश्चात् भूखण्ड सं. 79ए से 79डी व 80 के पश्चात् 80ए से 80डी नये कायम करना बताया, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया। नगर नियोजक के नक्शा प्लान में भूखण्ड सं. 79 से 217 है। भूखण्ड सं. 79ए से 79डी एवं 80ए से 80डी का संशोधित नक्शा प्लान नगर नियोजक से अनुमोदन नहीं है। निर्णय दिनांक 30.08.2013 की पालना करने हेतु अधिशाषी अधिकारी को सहमति के बिन्दुओं के आधार पर छः (06) माह का समय दिया जाना युक्तियुक्त है। निर्धारित अवधि में पालना नहीं करने पर विपक्षी को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जावेगा। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवमानना याचिका आंशिक स्वीकार कर बमामले प्रकरण सं0 16/2013 निर्णय दिनांक 30.08.2013 की पालना करने हेतु अधिशाषी अधिकारी को सहमति के बिन्दुओं के आधार पर छः (06) माह का समय दिया जाता है। निर्धारित अवधि में पालना नहीं करने पर विपक्षी को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जावेगा ।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.05.18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा